

1/03/2002

पञ्जावली पेश हुई। कबुलाय फेरिकेन उपाधिका
 वकील अर्थात् सं. 9 द्वारा जवाब अर्चना पत्र पेश
 किया जो शामिल मिल ली। उक्त पत्र को
 खस सुनी गई। वकील अर्थात् ने अर्चना पत्र के
 तथ्यों को दोहराया व T.I. फॉर्म करने का
 निवेदन किया। उत्तर में वकील अर्थात् सं.
 9 ने कथन किया कि आराजी मुतनाज रेकार्ड
 खातेद्वारा द्वारा अर्थात् सं. 6 से 8 को जारी
 रेकार्ड खेनामा विक्रय कर कब्जा दिया गया
 है। खेनामा व कब्जे के आधार पर इंतकाल
 हुआ है। अर्थात् सं. 6 से 8 ने अपने धारण
 की अत भूमि अर्थात् सं. 9 को विक्रय की
 है कब्जा हस्तान्तरित हुआ है और खेनामे के
 आधार पर अत भूमि अर्थात् सं. 9 के नाम
 दर्ज रेकार्ड हुई है। वर्तमान में अर्थात् सं. 9
 रेकार्ड खातेदार है व कब्जा काश्त में है।
 जिससे उग्रमदूरया मामला सुविधा का संतुलन
 व अपूर्ण क्षति का बिन्दु अर्थात् सं. 9 के
 पत्र में होने से T.I. व अर्चना पत्र खारिज
 फरमाया जावे। वकील अर्थात् ने अपने कथन
 के समर्थन में 1979 R.R.D. पेज नं. 1, 2019
 R.R.D. पेज नं. 582, 2004 (2) R.R.T. पेज नं.
 988 पेश की।

पञ्जावली का अवलोकन किया, खस व

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी

नजीरों को अध्ययन किया। पत्रावली
उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अप्राजी मुन्नाजा
अपार्थी सं. 1 से 5 के नाम एवं रिकार्ड
धी व अपार्थी सं. 1 से 5 में दिनांक 07/04/2004
को उक्त भूमि अपार्थी सं. 6 से 8 को जरिये
व्यवसाय विक्रय कर दी व कब्जा सुपूर्द कर
दिया। अपार्थी सं. 6 से 8 में उक्त भूमि पुनः
जरिये व्यवसाय अपार्थी सं. 9 को विक्रय
कर दी। जनवरी संवत् 2073 से 2076 के
अनुसार अपार्थी सं. 9 विवादित भूमि की
रिकार्ड्स खातेदार हैं। उक्त नजीरों के अनुसार
निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के मामले में
कब्जे की जांच करना आवश्यक नहीं है।
अपार्थी नं. 9 की कब्जे के संबंध में कोई दस्ता-
वेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं किया है। इस प्रकार
अपार्थी का विवादित भूमि पर टाइटल व कब्जा
नहीं होने से अपार्थी पत्र खारिज किया जाता है।

— 4 —

उपखण्ड अधिकारी
कोलासत जिला—बीकानेर